



दैनिक संपादकीय विश्लेषण

विषय

भारत की आर्थिक नीति में देखभाल को केन्द्र में
रखना

भारत की आर्थिक नीति में देखभाल को केन्द्र में रखना

संदर्भ

- हाल के वर्षों में, देखभाल कार्य के महत्व को वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई है, फिर भी कई आर्थिक नीतियों में इसे कम आंका गया है और इसका कम मूल्यांकन किया गया है।
 - भारत में, लैंगिक समानता प्राप्त करने, सामाजिक कल्याण में सुधार करने और सतत् विकास को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक नीति में देखभाल को केंद्र में रखना महत्वपूर्ण है।

केयर इकोनॉमी /देखभाल अर्थव्यवस्था (पर्पल इकोनॉमी) के बारे में


- इसमें देखभाल से संबंधित सभी गतिविधियाँ शामिल हैं, चाहे वे भुगतान वाली हों या अवैतनिक।
 - भुगतान युक्त देखभाल कार्य :** इसमें नर्स, घरेलू कर्मचारी, शिक्षक शामिल हैं।
 - अवैतनिक देखभाल का कार्य :** खाना पकाना, सफाई करना, देखभाल करना, प्रायः कम आंका जाता है।
- ‘देखभाल अर्थव्यवस्था का भविष्य’ पर विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट में तीन दृष्टिकोणों पर प्रकाश डाला गया है:
 - आर्थिक उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक इंजन के रूप में।
 - निवेशकों और नियोक्ताओं के रूप में (व्यावसायिक दृष्टिकोण)।
 - लैंगिक समानता और विकलांगता समावेशन (मानवाधिकार दृष्टिकोण) पर ध्यान केंद्रित करना।
- केयर डायमंड मॉडल:** देखभाल प्रावधान में राज्य, बाजार, परिवार और समुदाय शामिल हैं।

देखभाल कार्य का अदृश्य योगदान

- विश्व स्तर पर, अवैतनिक देखभाल कार्य असमान रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है।
- भारत में, महिलाएँ अवैतनिक घरेलू और देखभाल कार्यों पर प्रतिदिन लगभग 312 मिनट व्यतीत करती हैं, जबकि पुरुष 52 मिनट (समय उपयोग सर्वेक्षण, 2019) व्यय करते हैं।
- यह महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को प्रतिबंधित करता है और भारत की घटती महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर में योगदान देता है, जो 2022 में केवल 24% थी (विश्व बैंक)।

भारत में देखभाल अर्थव्यवस्था की आवश्यकता

- बदलती जनसांख्यिकी:** संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के एक हालिया अध्ययन में पाया गया है कि 2022 तक भारत की लगभग 25% जनसंख्या 0-14 वर्ष की आयु के बीच है, और 10.5% 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं, अर्थात् लगभग 360 मिलियन बच्चों और 147 मिलियन बुजुर्गों को देखभाल की आवश्यकता है।
 - आगामी कुछ दशकों में, न केवल जनसंख्या बढ़ेगी, बल्कि जनसांख्यिकीय परिवर्तन भी होगा।
 - 2050 तक, बुजुर्गों का अनुपात बढ़कर 20.8% हो जाने की संभावना है, अर्थात् लगभग 347 मिलियन व्यक्ति।
 - इसके अतिरिक्त, भले ही बच्चों का अनुपात मामूली रूप से घटकर 18% हो जाए, फिर भी बच्चों की संख्या 300 मिलियन के निकट होगी।



- **वृद्ध होती जनसंख्या:** जैसे-जैसे जीवन प्रत्याशा बढ़ती है और जन्म दर घटती है, हमारे समाज में बुजुर्ग व्यक्तियों का अनुपात बढ़ता जा रहा है। इस जनसंख्याकीय बदलाव के कारण बुजुर्गों की देखभाल पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
- **लैंगिक असमानता:** लैंगिक असमानता को कम करने के लिए अर्थव्यवस्था में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण है। हालाँकि, भारत में महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर (FLFPR) कम है।
 - आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, भारत की FLFPR 37% (2022-23) थी, जो विश्व औसत 47.8% से अत्यधिक कम है। इस असमानता के पीछे एक प्रमुख कारण यह है कि परिवारों में महिलाओं पर देखभाल का भार बहुत अधिक होता है।
- **कई तरह की देखभाल का भार:** भारत में महिलाओं पर कई तरह की देखभाल की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, जिसमें बच्चों की देखभाल से लेकर घर के दूसरे सदस्यों की देखभाल करना शामिल है - जैसे बुजुर्ग, बीमार और विकलांग।
 - इसके अतिरिक्त, वे अत्यधिक अवैतनिक घरेलू कार्य भी करती हैं। वास्तव में, 15-64 वर्ष की आयु की महिलाएँ पुरुषों की तुलना में अवैतनिक घरेलू कामों में प्रतिदिन लगभग तीन गुना ज्यादा समय बिताती हैं।
 - यह प्रायः महिलाओं को कार्यबल में पूरी तरह से भाग लेने से रोकता है।
- **बच्चों की देखभाल पर ध्यान:** श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए, अब बच्चों की देखभाल की ओर ध्यान दिया जा रहा है।
 - कुछ राज्य सरकारें मौजूदा आंगनवाड़ी नेटवर्क के माध्यम से सहायता सेवाएँ बनाने पर कार्य कर रही हैं।
 - 2024-25 के बजट में, एकीकृत बाल देखभाल और पोषण कार्यक्रम (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना) के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय के बजट में 3% की वृद्धि की गई।
- **बच्चों की देखभाल से परे:** यद्यपि बच्चों का देखभाल महत्वपूर्ण है, हमें यह पहचानना चाहिए कि महिलाएँ पूरे जीवन में घर के सदस्यों की प्राथमिक देखभाल करने वाली होती हैं। इसलिए, उनकी देखभाल की ज़िम्मेदारियों को कहीं और स्थानांतरित करने की आवश्यकता है।

देखभाल-केंद्रित नीति के आर्थिक लाभ

- **महिला कार्यबल में अधिक भागीदारी:** सस्ती डेकेयर सेंटर और बुजुर्गों की देखभाल सुविधाओं जैसी देखभाल सेवाओं का विस्तार करने से अधिक महिलाओं को कार्यबल में प्रवेश करने का मौका मिलेगा, जिससे समग्र आर्थिक उत्पादकता बढ़ेगी।
- **रोजगार सृजन:** देखभाल अर्थव्यवस्था में निवेश करने से लाखों रोजगार सृजित हो सकते हैं, विशेषकर महिलाओं के लिए।
 - ILO का अनुमान है कि देखभाल सेवाओं में निवेश से 2030 तक भारत में 11 मिलियन नई रोजगार सृजित हो सकते हैं।
- **बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण:** एक सुदृढ़ देखभाल बुनियादी ढाँचा बेहतर बचपन विकास, बुजुर्गों की देखभाल और मानसिक कल्याण सुनिश्चित करता है, जिससे एक स्वस्थ और अधिक उत्पादक जनसंख्या बनती है।
- **लैंगिक असमानता में कमी:** देखभाल कार्य को पहचानना और उसका पुनर्वितरण करना मज़दूरी और आर्थिक अवसरों में लैंगिक अंतर को समाप्त करने में सहायता कर सकता है।

आर्थिक नीति में देखभाल को एकीकृत करने की चुनौतियाँ

- वित्तीय और बजटीय बाधाएँ:** बाल देखभाल और बुजुर्गों की देखभाल सहित देखभाल सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय अन्य सामाजिक क्षेत्रों की तुलना में कम रहता है।
- डेटा और नीति मान्यता का अभाव:** GDP जैसे आर्थिक संकेतक अवैतनिक देखभाल कार्य को ध्यान में नहीं रखते हैं, जिससे नीतिगत बदलावों को आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है।
- गहरी जड़ें जमाए हुए लैंगिक मानदंड:** महिलाओं को प्राथमिक देखभालकर्ता होने की सांस्कृतिक अपेक्षा देखभाल की जिम्मेदारियों को फिर से वितरित करने के लिए नीतिगत प्रयासों को सीमित करती है।
- विखंडित स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सेवाएँ:** विभिन्न क्षेत्रों (जैसे, स्वास्थ्य, कल्याण, श्रम) के बीच समन्वय की कमी से अक्षमताएँ उत्पन्न होती हैं।
 - विभिन्न वित्तपोषण स्रोत और प्राथमिकताएँ नीतिगत विसंगति उत्पन्न करती हैं।
 - स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक देखभाल प्रायः अलग-अलग मंत्रालयों के अंतर्गत सम्मिलित हैं, जिससे अधिकार क्षेत्र संबंधी संघर्ष होते हैं।
- तकनीकी और डेटा साझाकरण बाधाएँ:** स्वास्थ्य सेवा IT प्रणालियों के बीच अंतर-संचालन एक चुनौती है।
 - गोपनीयता संबंधी चिंताएँ और मानकीकृत डेटा नीतियों की कमी एकीकरण को धीमा कर देती है।

देखभाल-केंद्रित अर्थव्यवस्था के लिए नीतिगत सिफारिशें

- देखभाल सेवाओं में सार्वजनिक निवेश बढ़ाएँ:** सरकार को परिवारों, विशेष रूप से महिलाओं पर भार कम करने के लिए सार्वजनिक बाल देखभाल, वृद्ध देखभाल और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना चाहिए।
- अवैतनिक देखभाल कार्य को पहचानना और मापना:** अवैतनिक देखभाल कार्य के आर्थिक मूल्य को राष्ट्रीय खातों और आर्थिक संकेतकों में शामिल करना।
 - इसे समय-उपयोग सर्वेक्षणों और उपग्रह खातों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है जो अर्थव्यवस्था में देखभाल कार्य के योगदान को मापते हैं।
- घरेलू और देखभाल श्रमिकों के लिए कानूनी सुरक्षा को मजबूत करना:** देखभाल श्रमिकों के लिए उचित वेतन, सामाजिक सुरक्षा और श्रम अधिकार सुनिश्चित करने से इस क्षेत्र में काम करने की स्थिति में सुधार होगा।
- साझा जिम्मेदारियों को बढ़ावा देना:** सार्वजनिक जागरूकता अभियानों के माध्यम से घरेलू और देखभाल कार्यों में पुरुषों की समान भागीदारी को प्रोत्साहित करना लैंगिक मानदंडों को बदलने में सहायता कर सकता है।
- आर्थिक नियोजन में देखभाल अर्थव्यवस्था को एकीकृत करना:** भविष्य के बजट और आर्थिक नीतियों को विशेष रूप से देखभाल से संबंधित बुनियादी ढाँचे एवं सेवाओं के लिए धन आवंटित करना चाहिए।
- साझा जिम्मेदारी को प्रोत्साहित करना:** नीतियों और सांस्कृतिक बदलावों को बढ़ावा देना जो पुरुषों को देखभाल जिम्मेदारियों का अधिक न्यायसंगत हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
 - इसमें पितृत्व अवकाश नीतियों को लागू करना, जागरूकता अभियान चलाना और पारंपरिक लिंग मानदंडों को चुनौती देना शामिल है।
- लिंग-उत्तरदायी बजट को बढ़ावा देना:** लक्षित कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से देखभाल कार्य में लिंग असमानताओं को दूर करने के लिए संसाधनों का आवंटन करना।

- इसमें मातृत्व लाभ, सवेतन पारिवारिक अवकाश और देखभाल करने वालों के लिए पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए धन बढ़ाना शामिल है।

निष्कर्ष

- लैंगिक समानता प्राप्त करने, सामाजिक कल्याण में सुधार लाने और सतत् विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत की आर्थिक नीति में देखभाल को केन्द्रित करना आवश्यक है।
- देखभाल कार्य के मूल्य को पहचानकर और सहायक नीतियों को लागू करके, भारत एक अधिक समावेशी और समतामूलक समाज बना सकता है।
- जैसे-जैसे देश आगे बढ़ रहा है और विकसित हो रहा है, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि देखभाल कार्य अब अदृश्य न रहे बल्कि इसे अर्थव्यवस्था के मूलभूत स्तंभ के रूप में स्वीकार किया जाए तथा महत्व दिया जाए।

Source: TH

दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: भारत की आर्थिक नीति में देखभाल को केंद्र में रखने के महत्व पर चर्चा कीजिए और विश्लेषण कीजिए कि अवैतनिक देखभाल कार्य को मान्यता देना लैंगिक समानता, सामाजिक कल्याण एवं सतत् विकास में कैसे योगदान दे सकता है। ऐसी नीतियों को लागू करने में क्या चुनौतियाँ आ सकती हैं और उनका समाधान कैसे किया जा सकता है?

